संख्या–952/65–2–2014–30(बजट)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक : 07 जुलाई, 2014

विषयः विकलांग पेंशन के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/नगर क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों की जॉच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर की जाने वाली सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण हैं। यदि किसी प्रकार के अपूर्ण आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसके सम्बन्ध में संबंधित लाभार्थी से सूचना प्राप्त करें तथा पूर्ण आवेदन पत्रों को एन0आई0सी0 की साइट पर डाटा अपलोड करायें। यहॉ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं तो इस संदर्भ में भी आवेदन पत्र पर टिप्पणी अंकित कर दी जाये जिससे इंदिरा गांधी पेंशन के लाभार्थियों की चयन सूची तैयार करते समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

2– समस्त विकलांग पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन के उपरान्त संशोधित की गयी सूचियों एवं नवीन लाभार्थियों की सूची को एन.आई.सी. के साफ्टवेयर पर अपलोड कराते समय विशेष ध्यान रखा जाये कि एन0आई0सी0 पर वर्षवार जो भी सूची अपडेट की जा रही है उसकी हार्ड/साफ्ट कॉपी कार्यालय में उपलब्ध रखी जाये जिससे कि उच्चाधिकारियों के भ्रमण के समय एवं समीक्षा बैठकों में वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों में विकास खण्ड/ग्रामसभा/न्याय पंचायत एवं मजरे के बिन्दुओं में टिप्पणी स्पष्ट अंकित हो। जिससे सत्यापन के समय दी जाने वाली सूचियॉ ग्रामवार संकलित हो सकें तथा सत्यापन अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन के संबंध में संबंधित विकलांगजन से जानकारी की जा सके। शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्रों में वार्ड/मोहल्ला का स्पष्ट अंकन हो यहॉ यह भी स्पष्ट करना है कि जनपद के लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण बैंकवार शाखावार अंकित कर जनपदीय लक्ष्य के आधार पर मिलान सुनिश्चित किया जाये तथा दोनों में किसी प्रकार का विरोधाभास न हो। यदि किसी विकलांगजन द्वारा अपनी पेंशन के प्राप्त न होने के संबंध में कोई शिकायत की जाये तो उसका अलग से पंजीयन/अंकन करके निस्तारण किया जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि उस लाभार्थी की पेंशन वितरण में दुबारा शिकायत प्राप्त न हो।

3– विकलांग पेंशन के सत्यापन का कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह तक अभियान चलाकर कराये जाने का प्राविधान है जिसमें अपात्र/मृतक लाभार्थियों को चिन्हित कर योजना से हटाया जाना तथा यह देखा जाना आवश्यक है कि लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन की धनराशि अंतरित हो गयी है अथवा नहीं। यदि लाभार्थी द्वारा बैंक खाते का संचालन किसी अन्य बैंक अथवा शाखा से किया जा रहा है तो इसका संज्ञान लिया जाना भी आवश्यक है।

सत्यापन के समय विकलांग लाभार्थी या उसके किसी निकट संबंधी का मोबाइल नं0 प्राप्त कर लिया जाये ताकि पेंशनर्स को उनके खाते में विकलांग पेंशन की धनराशि अंतरित होने की जानकारी बैंकों द्वारा एस0एम0एस0 एलर्ट के माध्यम से दी जा सके। प्रतिवर्ष मृतक/अपात्र लाभार्थी चिन्हित कर हटाए जायें उतने ही संख्या में संबंधित ग्राम/विकास खण्ड/तहसील के अनुसार जनपदीय लक्ष्य की सीमा तक पात्र विकलांगजन को चयनित किया जाये। सत्यापन के उपरान्त प्राप्त सत्यापन सूचियों से मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों का विवरण संकलित किया जाये जिसके आधार पर एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में आगामी वर्ष के डाटाबेस हेतु पूर्ण विवरण के साथ अपात्र एवं मृतक एवं अन्य की गयी टिप्पणी का संज्ञान के साथ जॉच अधिकारी के विवरण सहित नाम का भी उल्लेख किया जाये। जॉच में अपात्र/मृतक की उपरोक्त सूची को जिलाधिकारी के संज्ञान में रखकर पेंशन निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए उनके स्थान पर नवीन स्वीकृति की कार्यवाही भी जिलाधिकारी को संज्ञानित कराकर ही की जाये।

4— जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर एन0आई0सी0 के माध्यम से ई—गवर्नेन्स हेतु प्राप्त कराये गये हैं जिन जनपदों में नवीन पदस्थ होने अथवा स्थानान्तरण/कार्यभार हस्तान्तरण के कारण यदि बदलाव हो गया हो तो जनपद के एन0आई0सी0 सेन्टर से सम्पर्क स्थापित कर पुराने डिज़िटल सिग्नेचर समर्पित करते हुए नये डिज़िटल सिग्नेचर प्राप्त कर लिये जायें। यदि किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो निदेशालय को अवगत कराया जाये।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर
सचिव।

संख्या— ( )/65—2—2014— तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— निदेशक, एन0आई0सी0 को इस आशय से कि उपरोक्त के संबंध में जनपदो को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3— समस्त उपनिदेशक, विकलांग कल्याण, मुख्यालय/मण्डलीय।
4— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डा0 सुनील कुमार)
उपसचिव।

D:\U.N.Singh S.o\S.O\G-O--.docx